न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:– 15 / 2023 तारीख रजू:–31.07.2023

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2023 / 28

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. खाजू पुत्र जुम्मा
2. रमजानी पुत्र जुम्मा
3. शमसु पुत्र जुम्मा

समस्त जातियान मुसलमान तेली निवासीयान सारसोप, तहसील चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर (राज.)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. गिर्राज पुत्र कल्याण
2. जगदीशी पुत्री कल्याण
3. ममता पुत्री कल्याण
4. सीताराम पुत्र कल्याण
   जातियान कुम्हार
5. गिर्राज पुत्र केसरा
6. राजाराम पुत्र केसरा

जातियान गुर्जर, समस्त निवासीयान सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–अप्रार्थीगण

उपस्थित::–

वकील प्रार्थीगण :–श्री अब्दुल वहाब एडवोकेट

वकील अप्रार्थी संख्या 1:– एकपक्षीय कार्यवाही

वकील अप्रार्थी सं 2 लगायत 6 :– श्री हरिराम प्रजापत एडवोकेट

निर्णय दिनांक:–10.11.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.11 16:26:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) [illegible]

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि–

❖ प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 4430 / 3[illegible] रकबा 0.40 है0 ग्राम सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा में स्थित है।

❖ प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जाने हेतु खसरा नं. 2420 रकबा 1.48 है0 की दक्षिणी मेड़ एवं खसरा नंबर 3596 रकबा 1.93 है0की उत्तरी मेड़ पर होकर 15

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

फिट चौडा रास्ता उपलब्ध करवाया जाकर उसका नक्शा शीट में अंकन फरमाया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थीगण जारी किये जाकर उनको न्यायालय में तलब किया।

3. वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 20.02.2025 को सुनवाई कर अप्रार्थी संख्या 3/3 लगायत 3/7 के नाम हजफ किये गये।

4. अप्रार्थी संख्या 3/1 व 3/2 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा न्यायालय में जवाब पेश नहीं किये जाने के कारण उनका दिनांक 03.06.2025 को जवाब बंद किया गया।

5. वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 व 4 लगायत 6 ने अपना जवाब पेश किया है कि खसरा नंबर 2420 तथा 3596 तथा खसरा नंबर 4430/3595 में से रास्ता मांगा गया है, जिसमें अप्रार्थीगणों के नाम यही खातेदारी भूमि स्थित है, जिसमें ऐतराज यह है कि उत्तरी मेड़ के बजाय दक्षिणी मेड से रास्ता दिया जा सकता है, क्योंकि दक्षिणी मेड़ वा दूरी कम बनती है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगणों को दक्षिण मेड़ से रास्ता दिया जाना न्यायोचित है, क्योंकि अप्रार्थीगणों के खेतों से प्रार्थीगणों का कभी भी आना जाना नहीं रहा है। इसलिये या तो दक्षिणी मेड़ से दिया जावे नही तो प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

6. तहसीलदार, चौथ का बरवाडा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2025/2439 दिनांक 14.10.2025 द्वारा रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश की है कि मौके पर खसरा नंबर 4430/3595 पर पहुंच हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। खसरा नंबर 4430/3595 पर पहुंच हेतु खसरा नंबर 2420 व 3596 की मेड़ से होकर न्यूनतम दूरी का रास्ता दिया उचित होगा। रास्ते का प्रस्ताव निम्नानुसार है—

क्र. सं.	खसरा नंबर	कुल रकबा	रास्ते की दूरी	रास्ते की चौड़ाई	रकबा	डीएलसी दर	राशि	डीएलएसी की दुगुनी राशि
1	3596	1.93 है0	98 मीटर	2 मीटर	196 वर्गमीटर	700000	13720	27440
2	2420	1.48 है0	100 मीटर	2 मीटर	200 वर्गमीटर	700000	14000	28000
			योग					रूप

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Sin
Date: 2025.11.11 16:26:41 IST
Reason: SelfAttested

7. दौराने बहस अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के अधिवक्ता अनुपस्थित रहने के कारण बहस प्रार्थीगण सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का दोहरान किया।

8. मैंने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

9. वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जाने हेतु खसरा नं. 2420 रकबा 1.48 है0 पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थीगण अपने पडोसी खातेदारों की कृषि भूमि से रास्ता लेने का अधिकार रखते हैं। इसके लिये निर्धारित प्रतिकर राशि दिये जाने में प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

10. प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थीगणों को पड़ोसी खातेदारों की कृषि भूमि से रास्ता दिया जाना अत्यावश्यक है।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि वे प्रार्थीगण की ग्राम सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा स्थित खातेदारी भूमि खसरा नंबर 4430/3595 पर आवागमन हेतु रास्ते के लिये दी जाने वाली भूमि का संबंधित खातेदारी को दुगुना प्रतिकर दिलवाया जाकर निम्नानुसार रास्ता उपलब्ध करवाया जाकर उसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाया जावे–

क्र.सं.	खसरा नंबर	कुल रकबा	रास्ते की दूरी	रास्ते की चौड़ाई	रकबा	डीएलसी दर	राशि	डीएलएसी की दुगुनी राशि
1	3596	1.93 है0	98 मीटर	2 मीटर	196 वर्गमीटर	700000	13720	27440
2	2420	1.48 है0	100 मीटर	2 मीटर	200 वर्गमीटर	700000	14000	28000
योग								55440/– रूपये

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय दिनांक 10.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Sin
Date: 2025.11.11 16:26:41 IST
Reason: SelfAttested